प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट मार्च 2017 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों, उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के खातों के संबंध में रिपोर्ट नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां भी शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2016-17 की अवधि में देखे गए थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके। 2016-17 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।